रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936
No. 243] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरुआत

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2014

विषय:- चाइनीज ताइपेई, फिलीपीन्स, मलेशिया और वियतनाम से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 14/03/2014-डीजीएडी- यत: वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथोशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष **भारतीय प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माता एसोसिएशन** (जिसे एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने एक आवेदन ताईवान, फिलीपीन्स, मलेशिया और वियतनाम (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्रासेसिंग मशीन्स या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाते हुए दायर किया है तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा; पाटन की सीमा का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

2. और यत:, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन; घरेलू उद्योग को क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद हैं, इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन, यदि कोई, की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश करने, जो यदि उदग्रहित की गई तो घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी तरह की प्लास्टिक प्रौसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है, जिनका क्लैम्पिंग फोर्स 40 टन से कम न हो और 3200 टन से अधिक न हो, जिनका प्रयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रासेसिंग या मोल्डिंग में किया जाता है। तथापि, इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों का अपवर्जन किया जाता है :

(i) सीमा-शुल्क प्रशुल्क वर्गीकरण संख्या 847730 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।

(ii) वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

(iii) सभी इलेक्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें यांत्रिक मूवमेंट जैसे इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, पेंचकश आदि को स्वतंत्र सर्वो इंजिनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उनकी डिजिटल नियंत्रण प्रणाली हो एवं जो बिना हायड्रोलिक यूनिटों के हैं।

(iv) सीमा-शुल्क प्रशुल्क वर्गीकरण संख्या 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत पदत्राण बनाने के लिए बहु रंगी/बहु मोल्ड मशीनरी, फुटवीयर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी, और फुटवियर के सोल/स्ट्रैप/हील बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

ख. समान उत्पाद

4. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबत्र देशें से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा भारत में आयातित संबद्ध वस्तु कतिपय गुणधर्मों जैसे भौतिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क निर्धारण के रूप में तुलनीय हैं। दोनों ही वस्तुएं वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्तागण इन दोनों का प्रयोग अंतर्निमेय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रमुख नियमावली के नियमों 2(घ) के आशय के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

5. यह नोट किया जाता है कि प्लास्टिक प्रासेसिंग मशीनों को क्लैम्पिंग फोर्सेस के अनुरूप वर्णित विभिन्न आकारों एवं क्षमताओं में विनिर्मित किया जाता है। इसलिए, पाटन एवं क्षति का निर्धारण करने के लिए समानता की तुलना के प्रयोजनार्थ विभिन्न क्षमताओं/क्लैम्पिंग फोर्सेस की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को भिन्न उत्पाद प्रकार के रूप में माना जाएगा तथा तुलना समान से समान दर पर यथासंभव सीमा तक की जाएगी।

ग. सीमा-शुल्क वर्गीकरण

6. प्लास्टिक प्रासेसिंग मशीनों को आईटीसी (एचएस) और सीमा-शुल्क वर्गीकरण संख्या 8477 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आठ अंकीय स्तर पर यह उत्पाद सीमा शुल्क वर्गीकरण के अध्याय 84771000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे के अंतर्गत बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग एवं आधार

7. यह आवेदक भारतीय प्लास्टिक मशीनरी विनिर्माता एसोसिएशन (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता या पीएमएमएआई कहा गया है) द्वारा प्लास्टिक प्रासेसिंग मशीनों के उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। इसके

चार सदस्यों (i) तोशीबा मशीन्स (ii) फेरोमेटिक माइलाक्रान; (iii) विंडसर इंडिया; और (iv) इलेक्ट्रानिका मशीन्स, जो भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं, ने संबद्ध देशों से पीपीएम के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की मांग करते हुए यह आवेदन दायर करने से संबंधित संगत वित्तीय सूचना प्रदान कराई है।

8. अन्य घरेलू उत्पादकों की अनुमानित क्षमता और उत्पादन मात्रा के आधार पर आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। इसलिए प्राधिकारी यह अधिवचन करते हैं कि इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों का नियम 5(3) में उल्लिखित निबंधनों के अनुसार यह आवेदन दायर करने का आधार है और वे, उक्त नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

ड. अंतर्ग्रस्त देश

9. वर्तमान जांच के शामिल देश चाइनीज ताइपेई, फिलीपीन्स, मलेशिया और वियतनाम हैं जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है।

च. सामान्य मूल्य

10. निर्यातों के देश की घरेलू बाजारों में संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने के कारण घरेलू उद्योग ने प्रत्येक उत्पाद प्रकार (क्लैम्पिंग फोर्सेस के आधार पर) के सामान्य मूल्य का आकलन निर्यात के देशों में उत्पादन की निर्मित कीमत प्लस तर्कसंगत लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्यातक देशों के लिए भारत में विनिर्मित लागत का विधिवत समायोजन करके किया है। संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्मित सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए संपरिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय के तर्कसंगत आकलन किए गए है। प्राधिकारी ने इस आकलनों को जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में माना है।

छ. निर्यात कीमत

11. संबद्ध देशों से व्यक्तिगत उत्पाद प्रकार की निर्यात कीमत का आकलन याचिकाकर्ता द्वारा शासकीय स्रोतों से प्रस्तुत आयात आंकड़ों के आधार पर उसका भाड़ा, बीमा आदि के लिए समायोजन करने के पश्चात फैक्टरी बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए किया है।

ज. पाटन मार्जिन

12. आवेदकों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य पर्याप्तत: भारत में निवल निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस तरह निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम से अधिक है।

झ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

13. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात संचयी रूप से घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव के कारण क्षति पहुंचा रहे हैं। अधिदेशित पैरामीटरों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि विभिन्न स्रोतों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की बिक्री के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षति का संचयी आकलन करना उपयुक्त होगा। आवेदकों ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा एवं मूल्य और विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति स्थपित करने वाले विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। पाटित आयातों का कीमत अधोरदन एवं अधोविक्रयण, क्षमता उपयोग कीमत निग्रहण, लाभप्रदता एवं घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण एवं बिक्री से नकद घाटा जैसे पैरामीटर प्रथम दृष्टया यह संकेत करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के उपर्युक्त पर्याप्त साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकार, प्रमुख नियमावली के नियमों के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध

वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी एवं उसकी मात्रा और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एतद्वारा पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं।

ट. प्रक्रिया

(क) **जांच की अवधि (पीओआई) :** वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) **अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014** है। तथापि, क्षति जांच में वर्ष **2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14** तथा जांच की अवधि शामिल होगी।

(ख) **सूचना प्रस्तुत करना :** संबद्ध देशों के निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्ताव करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर इस जांच से संगत प्रस्तुतिकरण निर्धारित स्वरूप और ढंग से कर सकता है।

(ग) **समय-सीमा :** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय में पहुँच जानी चाहिए। तथापि, उन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों, जिन्हें अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके भेजे गए पत्र की तारीख से (40) चालीस दिनों के अंदर अपनी सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(घ) **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :** नियमावली के नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकारी को प्रदान कराई गई गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रदान कराएंगे और यदि ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना को सार रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है तो उन कारणों का उल्लेख करना होगा कि उस सूचना का संक्षिप्तीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है। नियम 6(8) के अनुसार यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त सूचना तक पहुंच की मनाही करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(ड.) **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2014

Subject: Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Plastic Processing Machines or Injection Moulding machines from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam.

F. No. 14/03/2014-DGAD.—WHEREAS Plastics Machinery Manufacturers Association of India, (hereinafter referred to as the Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as Rules), alleging dumping of Processing Machines or Injection moulding machines (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of an Anti-Dumping investigations for determination of degree and extent of dumping and injury and levy of anti dumping duties on the subject goods from the subject countries.

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries; injury to the domestic industry; and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping, if any, and to recommend the amount of anti-dumping duties, which if levied would be adequate to remove injury to the domestic industry.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in this investigation is all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes, and not above 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials. The following types of products are however, excluded from the scope of the product under consideration:

(i) Blow Moulding Machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730.

(ii) Vertical injection moulding machines.

(iii) All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw driver, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Units.

(iv) Multi-colour/multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.

B. Like article

4. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods produced by the Indian industry and subject goods imported into India from the subject countries. Subject goods produced by the Indian industry and imported in India are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification

of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The goods produced by the domestic industry should be treated as like article to the goods imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as like articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, 2(d) of the Rules.

5. It is noted that the plastic processing machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of clamping forces. Therefore, for the purpose of like to like comparison for dumping and injury determination Plastic Processing Machines of different capacities/clamping forces shall be treated as different product types and comparisons shall be on like to like basis to the extent possible.

C. Customs Classification

6. Plastic Processing Machineries are classified under ITC (HS) and Customs Classification Number 8477. At the eight digit level the product is covered under Chapter 84771000 of the Customs Classification. However, the above classification is indicative only and is no way binding on the scope of this investigation.

D. Domestic industry and Standing

7. The present application has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as petitioner or PMMAI) on behalf of the producers of Plastic Processing Machines. Four of its members,(i) Toshiba Machines; (ii) Ferromatic Milacron; (iii) Windsor India; and (iv) Electronica Machines who are domestic producers of the product under consideration in India, have provided relevant information to file this application seeking imposition of anti dumping duty in force on imports of PPMs from subject countries.

8. On the basis of the estimated capacities and production volumes of other domestic producers, the applicants command a major proportion of the production of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that for the purpose of this investigation the applicants command the standing in terms of Rule 5(3) and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. Countries Involved

9. The countries involved in the present investigation are Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam, hereinafter also referred to as the subject countries.

F. Normal value

10. In the absence of any direct evidence of selling price of the subject goods in the domestic markets of the countries of exports, the domestic industry has estimated normal values of each product type (based on clamping forces) in the countries of export based on constructed cost of production plus reasonable profit taking into account the manufacturing costs in India duly adjusted for the exporting countries. Reasonable estimates of the conversion cost, selling, general and administrative expenses have been made for arriving at the constructed normal value of subject goods in subject countries. The Authority has accepted these estimates as preliminary evidence for the purpose of initiation of the investigation.

G. Export price

11. The export prices of individual product types from the subject countries have been estimated on the basis of import data submitted by the petitioners from official sources after adjusting the same for freight and insurance etc. to arrive at the net export prices at ex-factory level.

H. Dumping margin

12. As per the positive evidence placed by the applicants before the Authority the Normal Values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries. The dumping margins so estimated, are positive and above *de minimis.*

I. Injury and causal link

13. The petitioners have alleged that dumped imports from the subject countries are cumulatively injuring the domestic industry due to the volume and price effects of dumped imports. Having examined the mandatory parameters the

Authority is of the view that cumulative assessment of injury is appropriate in view of the situation of competition between dumped imports from various sources and sales of the domestic industry. The applicants have furnished information on volume and value of dumped imports from the subject countries and various parameters establishing injury to the domestic industry, on account of import of the product under consideration. Parameters, such as capacity utilization, price undercutting, underselling of the dumped imports, price depression, profitability, and cash loss in the manufacturing and sales of subject goods in the domestic market prima-facie indicate that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have injured the Domestic Industry.

J. Initiation of anti-dumping investigations

14. In view of sufficient evidence of dumping, injury and causal links placed by the domestic industry as above, the Designated Authority, in terms of the Rules supra, hereby initiates an anti-dumping investigation into the existence, degree of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and its effect on the domestic industry.

K. Procedure

a) **Period of investigation (POI):** The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is April 2013- March 2014. The injury investigation period will however, cover the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 (POI).

b) **Submission of information:** The exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users of the subject goods in India and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building,
Parliament Street,
New Delhi- 110001.

15. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

c) **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them.

d) **Submission of information on non-confidential basis**: In terms of Rule 7, of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof is required to be provided. In terms of Rule 6 (8) of the AD Rules, in case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

e) **Inspection of public file**: Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7) of the Rules.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.